

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 309]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 2 जून 2021 — ज्येष्ठ 12, शक 1943

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 2 जून 2021

सूचना

क्रमांक एफ 11-18/2020/सात-4. — छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, एतद्वारा, यह सूचना दी जाती है कि उपरोक्त संहिता की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट तहसील की सीमाओं को परिवर्तित करना, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट नवीन तहसील सृजित करना तथा इसमें विनिर्दिष्ट अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करना प्रस्तावित करती है.

राजपत्र में इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से साठ दिवस की समाप्ति पर, प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा तथा इस संबंध में कोई भी आपत्तियां या सुझाव, लिखित रूप में, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल काम्प्लेक्स, नवा रायपुर अटल नगर, जिला रायपुर को उक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व, अग्रेषित किये जा सकेंगे :-

अनुसूची

स. क्र.	जिला	वर्तमान तहसील	नवीन तहसील	परिवर्तन का स्वरूप	नवीन तहसील की सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	बलौदाबाजार -भाटापारा	सिमगा	सुहेला	राजस्व निरीक्षक मण्डल सुहेला के पटवारी हल्का नं. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एवं 38 के कुल 26 ग्राम. राजस्व निरीक्षक मण्डल हिरमी के पटवारी हल्का नं. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 एवं 44 के कुल 22 ग्राम. अतः कुल 16 पटवारी हल्के के 48 ग्राम नवीन तहसील “सुहेला” में शामिल होंगे.	उत्तर - तहसील - भाटापारा, जिला बलौदाबाजार - भाटापारा. दक्षिण - तहसील - तिल्दा, जिला - रायपुर. पूर्व - तहसील - बलौदाबाजार एवं पलारी, जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा. पश्चिम - तहसील - सिमगा, जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जनक प्रसाद पाठक, विशेष सचिव.

Atal Nagar, the 2nd June 2021

NOTICE

No. F 11-18/2020/Seven-4.— In pursuance of the provision contained in the proviso to sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), notice is hereby given that in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the said Code, the State Government proposes to alter the limits of Tehsil specified in column (3), to create a new Tehsil specified in column (4) and to define the limits thereof as specified in Schedule below.

The proposal shall be taken into consideration on the expiry of sixty days from the date of publication of this notice in the Official Gazette and any objections or suggestions in respect thereof may be forwarded, in writing to the Secretary, Government of Chhattisgarh, Department of Revenue and Disaster Management, Mantralaya, Mahanadi Bhawan, Capitol Complex, Nava Raipur Atal Nagar, District Raipur before the expiry of the said period :-

SCHEDULE

S. No. (1)	District (2)	Present Tehsil (3)	New Tehsil (4)	Nature of Change (5)	Boundaries of new Tehsil (6)
1	Balodabazar -Bhatapara	Simga	Suhela	Total 26 villages of Patwari Halka No. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 and 38 of Revenue Inspector Mandal Suhela Total 22 villages of Patwari Halka No. 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42 and 44 of Revenue Inspector Mandal Hiram Hence, 48 villages of total 16 Patwari Halka shall be included in new Tehsil "Suhela".	North - Tehsil - Bhatapara, District- Balodabazar -Bhatapara. South - Tehsil - Tilda, District - Raipur. East - Tehsil Balodabazar and Palari, District - Balodabazar-Bhatapara. West - Tehsil Simga, District - Balodabazar - Bhatapara.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
JANAK PRASAD PATHAK, Special Secretary.